भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1206

(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा कार्य शुरू होने में विलम्ब

1206. श्री मुरसोली एस. :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजावुर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत आज तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत कार्य प्रारंभ होने की संभावित तिथि क्या है तथा इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार श्रमिकों को आजीविका के नुकसान का कोई मुआवजा देगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत तंजावुर जिले में दिनांक 01.04.2024 से लगातार रोजगार प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान , दिनांक 24.07.2024 तक 6.77 लाख श्रम दिवस सृजित करके 85,854 परिवारों के 91,819 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। 2024-25 के दौरान 8321 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से जिले में 2631 कार्य पूरे हो चुके हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, "यदि किसी आवेदक को योजना के तहत रोजगार के लिए उसके आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में रोजगार मांगने की तारीख से, जो भी बाद में हो, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है , तो वह इस धारा के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।"

*****